रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 163] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 21, 2018/फाल्गुन 30, 1939
No. 163] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 21, 2018/PHALGUNA 30, 1939

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 मार्च, 2018

सा.का.नि. 256(अ).—केंद्रीय सरकार, शत्रु संपत्ति अधिनियम, 1968 (1968 का 34) की धारा 23 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, शत्रु संपत्ति नियम, 2015 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम शत्रु संपत्ति (संशोधन) नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. शत्रु संपत्ति नियम, 2015 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के नियम 2 में,--

(अ) उपनियम (1) में,--

(i) खंड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

'(कक) "उपाबंध" से इन नियमों से उपाबद्ध उपाबंध-1, उपाबंध -2 और उपाबंध-3 अभिप्रेत है ;';

(ii) खंड (ग) का लोप किया जाएगा ;

(iii) खंड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :--

'(ङ.) "संपदा अधिकारी" का वही अर्थ होगा, जो सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) में है ;

(च) "सरकारी स्थान" का वही अर्थ होगा, जो सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 2 के खंड (ङ.) के उपखंड (4) में है ;

(छ) "किराया", "मानक किराया", "पट्टा किराया", "अनुज्ञप्ति फीस" या "उपयोग प्रभार" से, यथास्थिति, शत्रु संपत्ति से उसके अधिभोग के लिए अधिभोगी द्वारा संदेय किराया, मानक किराया, पट्टा किराया अनुज्ञप्ति फीस या उपयोग प्रभार अभिप्रेत है ;

(ज) "अप्राधिकृत अधिभोगी" का वही अर्थ होगा, जो सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 2 के खंड (छ) में है ;';

(आ) उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(2) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और अधिनियम या सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) में परिभाषित नहीं हैं, के क्रमश: वही अर्थ होंगे जो उन अधिनियमों में उनके हैं।"।

3. मूल नियमों के नियम 3 में,-

(क) उपनियम (1) में, "शत्रु" शब्द के स्थान पर,' "शत्रु" या "शत्रु प्रजा" या "शत्रु फर्म" ' शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपनियम (2) में,-

(i) "किसी शत्रु के नाम की" शब्दों के स्थान पर, "शत्रु या शत्रु प्रजा या शत्रु फर्म" द्वारा" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) "उसके स्वामी की राष्ट्रीयता भी है" शब्दों के स्थान पर, "उस व्यक्ति का नाम, पता और अन्य विशिष्टियां, जो ऐसा कब्जा रखने वाला या अधिभोगी या प्रबंधक या स्वामी के अभिकर्ता के नाम पर हो" शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) उपनियम (5) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:--

"(5क) जिला प्राधिकारी, इस नियम में अंतर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना शत्रु संपत्ति की पहचान के प्रयोजन के लिए ऐसे सभी उपाय करेगा, जो आवश्यक हों।";

(घ) उपनियम (6) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(6) जिला प्राधिकारी या अभिरक्षक द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति शत्रु संपत्ति के रूप में पहचान किए गए सभी मामलों का एक ब्यौरेवार रिपोर्ट तैयार करेगा और उस पर अपनी टीका-टिप्पणियों के साथ अभिरक्षक को उसे प्रस्तुत करेगा।";

(ड.) उपनियम (7) से उपनियम (13) का लोप किया जाएगा ;

(च) उपनियम (14) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:--

"(15) अभिरक्षक, शत्रु संपत्ति के रूप में पहचान की गई संपत्तियों को अंतर्विष्ट करते हुए एक रजिस्टर रखेगा और उनको पब्लिक डोमेन तथा अभिरक्षक के कार्यालय की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित करेगा"।

4. मूल नियमों के नियम 4 में,-

(क) उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखे जाएंगे, अर्थात् :--

"(1) अभिरक्षक, नियम 3 के उपनियम (6) के अधीन रिपोर्ट या कोई अन्य साक्ष्य प्राप्त होने पर जांच करेगा, और यदि आवश्यक समझे तो अतिरिक्त जांच करना कारित करेगा।"

(1अ) नियम 3 के उपनियम (5) में निर्दिष्ट अपेक्षित सूचना अभिप्राप्त होने पर और इस बात की तुष्टि होने पर कि संपत्ति या उसमें हित प्रथम दृष्टतया शत्रु संपत्ति है, अभिरक्षक प्रारूप-1 में ऐसी संपत्ति या उसमें हित का दावा करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों पर, जिसे वह उस संपत्ति के हितबद्ध समझे, सूचना की तामील करेगा या तामील कराएगा।

(1आ) (क) उपनियम (1अ) में निर्दिष्ट सूचना की तामील संबंधित व्यक्ति या उसके प्रबंधक या उसके कुटुंब के अन्य सदस्यों पर वैयक्तिक रूप से या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या शत्रु संपत्ति के संबंधित व्यक्ति के संबंधित परिसर के या संबंधित व्यक्ति के कारबार के अंतिम ज्ञात स्थान सहजदृश्य भाग पर चिपकाकर की जाएगी और इलेक्ट्रानिक के माध्यम से भी भेजी जा सकेगी।

(ख) केवल सूचना के बार-बार अननुपालन की दशा में पुलिस के मार्फत सूचना की दस्ती तामील का सहारा लिया जा सकेगा।

(1इ) जहां सूचना की सम्यक् रूप से तामील की गई है, वहां संबंधित व्यक्ति या व्यक्तियों से यह कारण बताने की अपेक्षा की जाएगी कि क्यों न विषयगत संपत्ति को शत्रु संपत्ति के रूप में घोषित कर दिया जाए।

(1ई) शत्रु संपत्ति से संबंधित कार्यवाहियों में हितबद्ध होने का दावा करने वाला या करने वाले कोई व्यक्ति अभिरक्षक के समक्ष आवेदन फाइल कर सकेगा या सकेंगे, जो अधिनियम की धारा 5क के अधीन जांच करने के लिए उस समय और कार्यवाही करेगा और अभिरक्षक स्वयं आवेदक की सुनवाई के लिए आगे कार्यवाही करेगा या अपने प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा उसकी सुनवाई कराएगा।

(1उ) अभिरक्षक द्वारा सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए जाने के पश्चात् भी यदि सूचना प्राप्तकर्ता नियत तारीख को हाजिर होने में असफल रहता है तो अभिरक्षक मामले की एकपक्षीय सुनवाई कर सकेगा और अधिनियम की धारा 5क के अधीन शत्रु संपत्ति के रूप में संपत्ति की घोषणा करेगा।

(1ऊ) अभिरक्षक, ऐसी जांच करने के पश्चात्, जो वह आवश्यक समझे, आदेशानुसार घोषणा करेगा कि आदेश में वर्णित शत्रु या शत्रु प्रजा या शत्रु फर्म की संपत्ति अधिनियम की धारा 5क के अधीन उसमें निहित है और इस प्रभाव का प्रारूप-2 में एक प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा और ऐसा प्रमाणपत्र इसमें कथित तथ्यों का साक्ष्य होगा।

(1ऋ) उपनियम (1ऊ) के अधीन आदेश जारी करने के पश्चात् अभिरक्षक अपनी ओर से शीघ्र ही उक्त शत्रु संपत्ति को अधिकार में लेने के लिए जिला प्राधिकारी को प्राधिकृत करने वाला प्रारूप-3 में प्राधिकार जारी करेगा।";

(ग) उपनियम (2) का लोप किया जाएगा ;

(घ) उपनियम (4) में, "निहित संपत्ति" शब्दों के स्थान पर, "निहित स्थावर शत्रु संपत्ति" शब्द रखे जाएंगे।

5. मूल नियमों के नियम 5 में,-

(क) शीर्ष में, "स्थावर संपत्ति" शब्दों के स्थान पर, "स्थावर शत्रु संपत्ति" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपनियम (1) में,-

(i) "निहित संपत्ति" शब्दों के स्थान पर, "निहित स्थावर शत्रु संपत्ति" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) प्रथम परंतुक में,-

(I) "निहित संपत्ति" शब्दों के स्थान पर, "निहित स्थावर शत्रु संपत्ति" शब्द रखे जाएंगे ;

(II) "अधिनियम या इन नियमों" शब्दों के स्थान पर, "अधिनियम और सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के" शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) दूसरे परंतुक में, "संपूर्ण संपत्ति का नियंत्रण" शब्दों के स्थान पर, "संपूर्ण स्थावर शत्रु संपत्ति का नियंत्रण" शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) उपनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :--

"(1अ) शत्रु संपत्ति का पट्टा, इजाजत और अनुज्ञप्ति करार या किराएदारी या अधिभोग, यथास्थिति, किराएदार, पट्टेदार या अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अंतरणीय नहीं होगा ।

(1आ) किसी अधिभोगी द्वारा, यथास्थिति, उपनियम (1) के अधीन इजाजत और अनुज्ञप्ति करार करने का उपबंध, संदेय किराया, मानक किराया, पट्टा किराया, अनुज्ञप्ति फीस या उपयोग प्रभार, यथास्थिति, किराएदार, पट्टेदार या अनुज्ञप्तिधारी के रूप में शाश्वत अधिकार को निरंतर नहीं रखा जाएगा ।";

(घ) उपनियम (2) में, "निहित संपत्ति" शब्दों के स्थान पर, "निहित स्थावर शत्रु संपत्ति" शब्द रखे जाएंगे ;

(ड.) उपनियम (3) में,-

(i) "निहित संपत्ति" शब्दों के स्थान पर, "निहित शत्रु संपत्ति" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) "इस नियम" शब्दों के स्थान पर, "इन नियमों" शब्द रखे जाएंगे ;

6. मूल नियमों के नियम 6 में,-

(i) "जंगम संपत्ति" शब्दों के स्थान पर, जिसके अंतर्गत इसका शीर्ष भी है, दोनों स्थानों पर, "जंगम शत्रु संपत्ति" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) परंतुक में "संपत्ति" शब्दों के स्थान पर, "जंगम शत्रु संपत्ति" शब्द रखे जाएंगे ।

7. मूल नियमों के नियम 7 में,-

(i) शीर्ष में, "जंगम संपत्ति" शब्दों के स्थान पर, "जंगम शत्रु संपत्ति" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) उपनियम (2) से उपनियम (4) में, "निहित संपत्ति" शब्दों के स्थान पर, जहां-जहां वे आते हैं, "निहित जंगम शत्रु संपत्ति" शब्द रखे जाएंगे ।

8. मूल नियमों के नियम 8 में,-

(i) शीर्ष और उपनियम (1) में, "जंगम संपत्ति" शब्दों के स्थान पर, जहां-जहां वे आते हैं, दोनों स्थानों पर, "जंगम शत्रु संपत्ति" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) उपनियम (2), "संपत्ति के स्वामी" शब्दों के स्थान पर, "ऐसी जंगम शत्रु संपत्ति के कब्जे की बाबत प्राधिकृत व्यक्ति" शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) उपनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"(3) अभिरक्षक मालसूची रजिस्टर में प्रविष्ट करेगा और अपनी वेबसाइट पर पब्लिक डोमेन में उसके ब्यौरे रखेगा।"।

9. मूल नियमों के नियम 9 में,-

(i) शीर्ष और उपनियम (1) में, "स्थावर संपत्ति" शब्दों के स्थान पर, जहां-जहां वे आते हैं, दोनों स्थानों पर, "स्थावर शत्रु संपत्ति" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) उपनियम (2) में, "संपत्ति के स्वामी" शब्दों के स्थान पर, "ऐसी स्थावर शत्रु संपत्ति के कब्जे की बाबत प्राधिकृत व्यक्ति" शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) उपनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"(3) अभिरक्षक मालसूची रजिस्टर में प्रविष्ट करेगा और अपनी वेबसाइट पर पब्लिक डोमेन में उसके ब्यौरे रखेगा ।"।

10. मूल नियमों के नियम 11 में, "उसमें निहित सभी संपत्तियों" शब्दों के स्थान पर, "उसमें निहित सभी जंगम और स्थावर शत्रु संपत्तियों" शब्द रखे जाएंगे ।

11. मूल नियमों के नियम 12 में,-

(i) "(1)" कोष्ठक और अंकों का लोप किया जाएगा ;

(ii) खंड (क) में, "सभी भाटक, पट्टा राशि" शब्दों के स्थान पर, "सभी किराया, मानक किराया, पट्टा किराया, अनुज्ञप्ति फीस या उपयोग प्रभार" शब्द रखे जाएंगे ।

12. मूल नियमों के नियम 14 में, "अधिभोगी को बेदखल करने के उपाय" शब्दों के पश्चात्, "सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) के अनुसार अधिभोगी को बेदखल करने का उपाय" शब्द, कोष्ठक और अंक अंत:स्थापित किए जाएंगे ।

13. मूल नियमों के नियम 14 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :--

"**14क.** लेखा-(1) अभिरक्षक प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान उसके द्वारा प्राप्त आय की बाबत समुचित लेखा और सुसंगत ब्यौरे तथा उसके द्वारा विक्रीत शत्रु संपत्तियों के विक्रय के आगम और उसके द्वारा उपगत व्यय का रखरखाव करेगा ।

(2) अभिरक्षक, अभिरक्षक के कार्यालय द्वारा प्राप्त आय, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान विक्रीत शत्रु संपत्ति और अभिरक्षक के कार्यालय के संपरीक्षा प्रतिवेदन सहित वार्षिक विवरण केंद्रीय सरकार को अग्रेषित करेगा ।

14ख. सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के उपबंधों का लागू होना-- इन नियमों में विशिष्टि मामलों का वर्णन, स्थावर संपत्ति का विक्रय या अन्यथा या बेदखली के रूप में स्थावर शत्रु संपत्ति के निपटान का प्रभाव, सरकारी स्थान और उस अधिनियम के अधीन संपदा अधिकारी होने के नाते सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला अभिनिर्धारित नहीं किया जाएगा या साधारण रूप से लागू होने पर प्रभाव नहीं डालेगा ।"।

14. मूल नियमों के नियम 15 का लोप किया जाएगा ।

15. मूल नियमों के उपाबंध-1, उपाबंध-2, उपाबंध-3 और मूल नियमों से संलग्न प्ररूप-1, प्ररूप-2, प्ररूप-3 और प्ररूप-4 के स्थान पर क्रमश: निम्नलिखित उपाबंध और प्ररूप रखे जाएंगे, अर्थात् :--

उपाबंध –1

[नियम 3(14) देखिए]

भारत की शत्रु संपत्ति के अभिरक्षक का कार्यालय

चरण प्रक्रियाधीन संपत्ति के ब्यौरे को दर्शित करने वाला कथन

राज्य :

क्र .सं.	प्रक्रियाधीन मामले का विवरण
जिले का नाम	:
उपखंड का नाम	:
पुलिस थाने का नाम	:
डाकघर का नाम	:
ब्लॉक/तहसील का नाम	:
शत्रु संपत्ति अभिरक्षक कार्यालय की फाईल सं.	:
पाकिस्तान राष्ट्रिक का नाम	:

संपत्ति का वर्गीकरण								
मौजा का नाम	जे.एल. संख्या	आर.एस. खसरा संख्या	आर.एस प्लॉट संख्या	एल.आर खसरा संख्या	एल.आर. प्लॉट संख्या	कुल क्षेत्र	पाकिस्तान राष्ट्रिक का हिस्सा	संपत्ति की प्रकृति, वर्तमान अधिभोगी के नाम सहित

निहित करने की तारीख : .....

उपाबंध –2

[नियम 4(4) देखिए]

भारत की शत्रु संपत्ति के अभिरक्षक का कार्यालय

घोषित/निहित शत्रु संपत्ति के ब्यौरे को दर्शित करने वाला विवरण

राज्य:

क्र .सं.	घोषित मामले का विवरण
जिले का नाम	*संपत्ति के ब्यौरे*
उपखंड का नाम	:
पुलिस थाने का नाम	:
डाकघर का नाम	:
ब्लॉक/तहसील का नाम	:
शत्रु संपत्ति अभिरक्षक कार्यालय की फाईल सं.	:

संपत्ति का वर्गीकरण								
मौजा का नाम	जे.एल. संख्या	आर.एस खसरा संख्या	आर.एस प्लॉट संख्या	एल.आर खसरा संख्या	एल.आर प्लॉट संख्या	कुल क्षेत्र	पाकिस्तान राष्ट्रिक का हिस्सा	संपत्ति की प्रकृति, वर्तमान अधिभोगी के नाम सहित

निहित करने की तारीख :.....

उपाबंध –3

[नियम 5(4) देखिए]

भारत की शत्रु संपत्ति के अभिरक्षक का कार्यालय

आय प्राप्त संपत्ति के ब्यौरे दर्शित करने वाला विवरण

राज्य:

क्र. सं.	मामले में प्राप्त आय का विवरण
संपत्ति के ब्यौरे	
जिले का नाम	:
उपखंड का नाम	:
पुलिस थाने का नाम	:
डाकघर का नाम	:
ब्लॉक/तहसील का नाम	:
शत्रु संपत्ति अभिरक्षक कार्यालय की फाईल सं.	:
पाकिस्तान राष्ट्रिक का नाम	:
निहित होने का तारीख	:

प्ररूप 1

[शत्रु संपत्ति नियम, 2015 के नियम 4(1क), देखें]

भारत की शत्रु संपत्ति के अभिरक्षक का कार्यालय

फा.सं. सीईपीआई/ तारीख:

सेवा में,

हेतुक दर्शित करने वाली सूचना

विषय: स्थावर संपत्ति.....

यह प्रतीत होता है, विषयगत संपत्ति "शत्रु संपत्ति" या "शत्रु प्रजा" या "शत्रु फर्म" की थी या उनके द्वारा धारित की गई थी या उनकी ओर से उसका प्रबंध किया गया था और विषयगत संपत्ति भारत की शत्रु संपत्ति के अभिरक्षक में निहित शत्रु संपत्ति प्रतीत होती है और शत्रु संपत्ति अधिनियम, 1968 और तदधीन बनाए गए शत्रु संपत्ति नियम, 2015 के अधीन उसमें निहित बनी रहेगी।

2. अधोहस्ताक्षरी, अभिरक्षक/अभिरक्षक के प्रभार के अधीन जिले/तहसील में स्थित शत्रु संपत्ति की पहचान, उसके परिरक्षण और पहचान करने के लिए अभिरक्षक द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति है।

3. अतः, अब, अधोहस्ताक्षरी, आपसे इस सूचना प्राप्ति के दस दिन के भीतर, शत्रु संपत्ति अधिनियम, 1968 और शत्रु संपत्ति नियम, 2015 के अधीन यथाउपबंधित विषयगत संपत्ति को क्यों न शत्रु संपत्ति के रूप में घोषित किया जाए, स्वयं या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से निम्नलिखित जानकारी/दस्तावेज़ देने और उसे उसमें परिरक्षण और प्रबंध के लिए अभिरक्षक के नियंत्राणाधीन कर दी जाए, ऊपर दिए गए पते पर लिखित में कारण दर्शित करने की अपेक्षा करता है।

4. प्रतिउत्तर में विनिर्दिष्ट रूप से दर्शित किया जाना चाहिए कि क्या आपके द्वारा इस मामले में किसी व्यक्तिगत सुनवाई अपेक्षित है।

5. यदि ऊपर नियत समय के भीतर कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है या उक्त प्रयोजन के लिए नियतन तारीख और समय पर आप व्यक्तिगत सुनवाई के लिए हाजिर नहीं होते हैं तो यह उपधारणा की जाएगी कि आपको इस मामले में कुछ नहीं कहना है और उक्त संपत्ति, शत्रु संपत्ति के रूप में अभिरक्षक द्वारा ग्रहण की जाएगी और उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों के अनुसार उसकी कार्रवाई की जाएगी।

6. उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित दस्तावेजों/सूचनाओं की सूची :-

(i) "शत्रु" या "शत्रु प्रजा" या "शत्रु फर्म" का नाम, उनके स्वामित्वाधीन शत्रु संपत्ति, को शत्रु संपत्ति के तत्कालीन स्वामी के पाकिस्तान प्रवास की तारीख और शत्रु संपत्ति के अन्य ब्यौरे।

(ii) विषयगत शत्रु संपत्ति के पश्चात्वर्ती अंतरणों के ब्यौरे।

(iii) विषयगत शत्रु संपत्ति से सम्बन्धित सुसंगत राजस्व अभिलेखों की प्रतियां।

(iv) आपके दावे के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य, विषयगत शत्रु संपत्ति के संबंध में, यदि कोई हो।

(v) मृत्यु प्रमाणपत्र या विघटन का सबूत और "शत्रु" या "शत्रु प्रजा" या "शत्रु फर्म" के सही वंश चार्ट।

(vi) विषयगत शत्रु संपत्ति की बाबत कोई अन्य जानकारी।

तारीख :.....

स्थान :.....

आदेश द्वारा

अभिरक्षक/अभिरक्षक द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति

प्ररूप 2

[शत्रु संपत्ति अधिनियम, 1968 की धारा 5, 5क तथा धारा 12 और शत्रु संपत्ति

नियम, 2015 के नियम 4(1च), देखें]

भारत की शत्रु संपत्ति के अभिरक्षक का कार्यालय

फा. सं.

तारीख.....

शत्रु संपत्ति अधिनियम, 1968 की धारा 5, 5क और 12 और शत्रु संपत्ति नियम, 2015 के नियम 4(1च) के अधीन प्रमाण पत्र

"शत्रु" या "शत्रु प्रजा" या "शत्रु फर्म" उसकी ओर से अभिनिर्धारित या उसकी ओर से व्यवस्थित सम्बन्धित भारत की सभी स्थावर शत्रु संपत्तियां शत्रु संपत्ति अधिनियम, 1968 और उसके अधीन बनाए गए शत्रु संपत्ति नियम, 2015 के अधीन इस प्रकार बनी रहेगी।

और स्थावर शत्रु संपत्ति.....(संपत्ति के ब्यौरे) में स्थित है.....की है या जिसे "शत्रु" या "शत्रु प्रजा" या "शत्रु फर्म" की ओर से.....द्वारा धारित किया जाना है/प्रबंध किया जाना है और उपर्युक्त शत्रु संपत्ति, शत्रु संपत्ति के रूप में घोषित की गई है और भारत के शत्रु संपत्ति अभिरक्षक में निहित है।

अतः, अब, मैं.....(भारत की शत्रु संपत्ति के अभिरक्षक का नाम) शत्रु संपत्ति अधिनियम, 1968 और शत्रु संपत्ति नियम, 2015 की धारा 12 के साथ पठित धारा 5क के अधीन प्रमाणित करता हूं कि ऊपर उल्लिखित संपत्ति (संपत्तियां) शत्रु संपत्ति (संपत्तियों) के रूप में घोषित किया गया है और उसे/उन्हें अभिरक्षक में निहित किया गया है और वह/वे अभिरक्षक में शत्रु संपत्ति अधिनियम, 1968 और शत्रु संपत्ति नियम, 2015 के उपबंधों के अधीन इस प्रकार निहित बनी रहेगी/रहेंगी और यह प्रमाणपत्र इसमें कथित तथ्यों का साक्ष्य होगा।

आदेश द्वारा

(भारत की शत्रु संपत्ति का अभिरक्षक)

(कार्यालय की मुहर)

प्ररूप 3

[शत्रु संपत्ति नियम, 2015 के नियम 4(1छ), देखें]

भारत की शत्रु संपत्ति के अभिरक्षक का कार्यालय

शत्रु संपत्ति अधिनियम, 1968 की धारा 8 और शत्रु संपत्ति नियम, 2015 के अधीन

शत्रु संपत्ति का प्राधिकार आदेश

फा. सं. तारीख:

भारत में की सभी स्थावर शत्रु संपत्तियां जो "शत्रु" या "शत्रु प्रजा" या "शत्रु फर्म" की है या उसके द्वारा धारित है या जिनका प्रबंध उनकी ओर से किया जाता है, शत्रु संपत्ति अधिनियम, 1968 और शत्रु संपत्ति नियम, 2015 के अधीन भारत की शत्रु संपत्ति के अभिरक्षक में निहित शत्रु संपत्तियां होंगी और शत्रु संपत्ति अधिनियम, 1968 शत्रु संपत्ति की धारा 5, धारा 5क और धारा 12 और शत्रु संपत्ति नियम, 2015 के अधीन उस अभिरक्षक में इस प्रकार निहित बनी रहेंगी।

और व्यक्ति/व्यक्तियों ,जिसके/जिनके ब्यौरे इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ) 2 (में है(हैं) इसके स्तम्भ (3) में उल्लिखित स्थावर संपत्ति/संपत्तियों के स्वामी/धारित/व्यवस्थित सभी "शत्रु" या "शत्रु प्रजा" या "शत्रु संपत्ति" हैं।

और उक्त संपत्ति/संपत्तियां अभिरक्षक में निहित शत्रु संपत्ति/शत्रु संपत्तियां हैं और इस प्रकार पूर्वोक्त अधिनियम के उपबंधों और नियमों के निबंधनों में निहित बनी रहेंगी।

अतः, अब, मैं..... भारत की शत्रु संपत्ति का अभिरक्षक शत्रु संपत्ति अधिनियम, 1968 की धारा 8 और शत्रु संपत्ति नियम, 2015 के अधीन जिला.....के मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/भारसाधक को उक्त स्थावर शत्रु संपत्ति का नियंत्रण और प्रबंध के लिए प्राधिकृत करता हूं और उसके परिरक्षण के लिए ऐसे उपाय करने के लिए, जो वह आवश्यक या समीचीन समझे, प्राधिकृत करता हूं।

आदेश द्वारा

अनुसूची

क्र. सं	"शत्रु" या "शत्रु प्रजा" या "शत्रु फर्म"	शत्रु संपत्ति के ब्यौरे
(1)	(2)	(3)

(मुहर सहित भारत की शत्रु संपत्ति का अभिरक्षक)

प्ररूप 4

[शत्रु संपत्ति नियम, 2015 के नियम 4(3), देखें]

भारत की शत्रु संपत्ति के अभिरक्षक का कार्यालय

नोटिस

(शत्रु संपत्ति पर लगाया जाए)

विषय:..... (स्थावर संपत्ति के ब्यौरे)

अभिरक्षक से नियम 4 के उप-नियम (1छ) के अधीन प्राधिकारी आदेश की प्राप्ति पर, जिला प्राधिकारी ने उपर्युक्त स्थावर शत्रु संपत्ति के प्रबंध को पूर्णतया नियंत्रण में ले लिया है और अभिरक्षक में निहित पूर्वोक्त स्थावर संपत्ति के अधिभोगी से वसूली योग्य बकायों या शोध्यों की वसूली के लिए कार्रवाई आरम्भ कर दी गई है ;

और पूर्वोक्त स्थावर शत्रु संपत्ति शत्रु संपत्ति अधिनियम, 1968 की धारा 5, धारा 5क तथा धारा 12 और शत्रु संपत्ति नियम , 2015 के अधीन अभिरक्षक में इस प्रकार निहित बनी रहेगी ;

उपर्युक्त पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अतः, अब इस संपत्ति पर यह घोषित करते हुए सूचना चिपकाई जा रही है कि उपर्युक्त स्थावर शत्रु संपत्ति अभिरक्षक में निहित है ।

तारीख:.....

स्थान:..... (मुहर सहित जिला प्राधिकारी)।'।

16. मूल नियमों के प्ररूप 7 में, समाप्ति पर निम्नलिखित टिप्पण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:--

'टिप्पण: इस प्ररूप की सारणी में,--

(i) "ए/1" कृषीय भूमि को निर्दिष्ट करता है;

(ii) "एच/बी" गृह भवन को निर्दिष्ट करता है;

(iii) "एच/सी" दुकान या वाणिज्यिक को निर्दिष्ट करता है'।

[फा. सं. 37/32/2017-ईपी]

ए. वी. धर्मा रेड्डी, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 205(अ) तारीख 19 मार्च, 2015 द्वारा प्रकाशित किए गए थे ।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st March, 2018

G.S.R. 256(E).—In exercise of the powers conferred by section 23 of the Enemy Property Act, 1968 (34 of 1968), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Enemy Property Rules, 2015, namely:-

1. (1) These rules may be called the Enemy Property (Amendment) Rules,2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In rule 2 of the Enemy Property Rules, 2015, (hereinafter referred to as the principal rules), -

(A) in sub-rule (1),-

(i) after clause (a), the following clause shall be inserted, namely:-

'(aa) "Annexure" means ANNEXURE-I, ANNEXURE-II and ANNEXURE –III appended to these rules;';

(ii) clause (c) shall be omitted;

(iii) after clause (d), the following clauses shall be inserted, namely:-

'(e) "estate officer" shall have the meaning assigned to it in the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971);

(f) "public premises" shall have the meaning assigned to it in sub-clause (4) of clause (e) of section 2 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971);

(g) "rent", "standard rent", "lease rent", "licence fee" or "usage charges", as the case may be, means rent, standard rent, lease rent, licence fee or usage charges payable by the occupant for his occupancy of the enemy property;

(h) "unauthorised occupants" shall have the meaning assigned to it in clause (g) of section 2 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971);';

(B) for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(2) Words and expressions used in these rules and not defined in the Act or in the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971) shall have the meanings respectively assigned to them in those Acts.".

3. In rule 3 of the principal rules,-

(a) in sub-rule (1), for the word "enemy", the words ' "enemy" or "enemy subject" " or "enemy firm" shall be substituted;

(b) in sub-rule (2), -

(i) for the words "in the name of an enemy", the words "by the enemy or enemy subject or enemy firm" shall be substituted;

(ii) for the words "including the nationality of the owner thereof", the words "and the name and address and other particulars of the person who is in possession of such property or the name of the occupier or manager or agent of the owner" shall be substituted;

(c) after sub-rule (5), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"(5A) Without prejudice to the provisions contained in this rule, the District Authority shall take all such steps as may be necessary for the purpose of identification of the enemy property.";

(d) for sub-rule (6) ,the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(6) The District Authority or any person authorised by the Custodian shall prepare a detailed report of all cases identified as enemy property and shall submit the same to the Custodian along with his comments thereon.";

(e) sub-rules (7) to (13) shall be omitted;

(f) after sub-rule (14) , the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"(15) The Custodian shall maintain a register containing the properties identified as enemy properties and place the same in public domain and also exhibit the same on the website of the office of the Custodian" .

4. In rule 4 of the principal rules,-

(a) for sub-rule (1), the following sub-rules shall be substituted, namely:-

"(1) On receipt of the report under sub-rule (6) of rule 3 or any other evidence, the Custodian shall examine and cause further inquiry, if considered necessary."

(1A) On obtaining the required information referred to in sub-rule (5) of rule 3 and on being satisfied that the property or interest therein is *prima facie* enemy property, the Custodian shall serve or cause a notice to be served in Form 1, on the person claiming title to such property or interest and on any other person or persons whom he considers to be interested in the property.

(1B) (a) The notice referred to in sub-rule (1A) shall be served personally to the person concerned or to his manager, or to other members of his family; or be sent through registered post; or affix it on some conspicuous part of the premises concerned of the enemy property or at the last known place of the business of the person concerned and may also be sent electronically.

(b) The Dasti service of notice through police may be resorted only in the case of persistent noncompliance of the notice.

(1C) Where a notice has been duly served, the person or persons concerned shall be called upon to show cause as to why the subject property should not be declared as an enemy property.

(1D) Any other person or persons claiming to be interested in the proceedings relating to enemy property, may file an application before the Custodian who shall then proceed further to inquire under section 5A of the Act and hear the applicant himself or cause the same to be heard by his authorised representatives.

(1E) The Custodian shall give sufficient opportunity to the noticees and if the noticees fail to appear on the dates fixed for hearing even after giving reasonable opportunity, the Custodian may proceed further to hear the matter ex-parte and declare the property as enemy property under section 5A of the Act.

(1F) The Custodian may, after making such inquiry as he deems necessary, by order, declare that the property of the enemy or the enemy subject or the enemy firm described in the order, vests in him under section 5A of the Act and issue a certificate in Form 2 to this effect and such certificate shall be the evidence of the facts stated therein.

(1G) After issue of the order under sub-rule (1F), the Custodian shall issue an authorisation in Form 3, authorising the District Authority to take over the said enemy property immediately on his behalf.";

(c) sub-rule (2) shall be omitted;

(d) in sub-rule (4), for the words "vested property", the words "vested immovable enemy property" shall be substituted.

5. In rule 5 of the principal rules, -

(a) in the heading, "for the words "immovable property", the words "immovable enemy property" shall be substituted;";

(b) in sub-rule (1),-

(i) for the words "vested property in respect of which no income is received", the words "vested immovable enemy property in respect of which no income is received" shall be substituted;

(ii) in the first proviso,-

(I) for the words "vested property", the words "vested immovable enemy property" shall be substituted;

(II) for the words "in the Act and in these rules", the words "under the Act and the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 and the rules made thereunder" shall be substituted;

(iii) in the second proviso, for the words "whole property", the words "whole immovable enemy property" shall be substituted;

(c) after sub-rule (1), the following sub-rules shall be inserted, namely:-

"(1A) The lease, leave and licence agreement, or tenancy or occupancy of the enemy property shall not be transferable by the tenant, lessee or licensee, as the case may be.

(1B) The provisions of entering into a leave and licence agreement under sub-rule (1) or payment of rent, standard rent, lease rent, licence fee or usage charges, as the case may be, by any occupant shall not confer a perpetual right to continue as a tenant, lessee or licensee, as the case may be.";

(d) in sub-rule (2), for the words "the vested property", the words "the vested immovable enemy property" shall be substituted;

(e) in sub-rule (3),—

(i) for the words "vested property" , the words "vested enemy property" shall be substituted;

(ii) for the words "this rule", the words "these rules" shall be substituted.

6. In rule 6 of the principal rules ,-

(i) for the words "moveable property" at both the places including the heading thereof, the words "movable enemy property" shall be substituted;

(ii) in the proviso, for the word "property", the words "movable enemy property" shall be substituted.

7. In rule 7 of the principal rules,-

(i) in the heading, for the words "moveable property", the words "movable enemy property" shall be substituted;

(ii) in sub-rules (2) to (4), for the words "vested property" wherever they occur, the words "vested movable enemy property" shall be substituted.

8. In rule 8 of the principal rules,-

(i) in the heading and in sub-rule (1), for the words "moveable property", at both the places where they occur, the words " movable enemy property" shall be substituted;

(ii) in sub-rule (2), for the words "the owner of the property", the words "the person authorised in respect of possession of such movable enemy property " shall be substituted;

(iii) after sub-rule (2), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"(3) The Custodian shall make entry in the inventory register and place the details thereof on its website in public domain.".

9. In rule 9 of the principal rules,-

(i) in the heading and in sub-rule (1), for the words "immovable property" at both the places where they occur, the words "immovable enemy property" shall be substituted;

(ii) in sub-rule (2), for the words "the owner of the property" , the words "the person authorised in respect of possession of such immovable enemy property" shall be substituted;

(iii) after sub-rule (2), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"(3) The Custodian shall make entry in the inventory register and place the details thereof on its website in public domain.".

10. In rule 11 of the principal rules, for the words "of all the properties vested in him", the words "of all the movable and immovable enemy properties vested in him" shall be substituted.

11. In rule 12 of the principal rules,-

(i) the brackets and figure "(1)" shall be omitted;

(ii) in clause (a), for the words "all rent, lease money", the words "all rent, standard rent, lease rent, licence fee or usage charges," shall be substituted;

12. In rule 14 of the principal rules, after the words "evict the occupant forthwith", the words, brackets and figures "in accordance with the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971)" shall be inserted.

13. After rule 14 of the principal rules, the following rules shall be inserted, namely:-

"14A. Accounts.- (1) The Custodian shall maintain proper accounts and other relevant records in respect of the income received by him and sale proceeds of the enemy properties sold by him and the expenditure incurred by him during every financial year.

(2) The income received by the office of the Custodian, the enemy properties sold during every financial year and annual expenditure statement with the audit report of the office of the Custodian shall be forwarded annually to the Central Government.

14B. Application of the provisions of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971.--- The mention of particular matters in these rules shall not be held to prejudice or affect the general application of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971) with regard to the effect of the disposal of immovable enemy property by way of sale or otherwise or eviction of the immovable property, being the public premises and Custodian being the estate officer under that Act.".

14. Rule 15 of the principal rules shall be omitted.

15. For Annexure I, Annexure-II, Annexure-III and Form 1, Form 2, Form 3 and Form 4 appended to the principal rules, the following Annexures and Forms shall, respectively, be substituted, namely:-

'ANNEXURE I
[See rule 3(14)]

OFFICE OF THE CUSTODIAN OF ENEMY PROPERTY FOR INDIA

STATEMENT SHOWING DETAILS OF PROPERTY UNDER PROCESS STAGE

STATE:

Sl. No. STATEMENT OF PROCESS CASE

DISTRICT NAME :
SUB-DIVISION NAME :
POLICE STATION NAME :
POST OFFICE NAME :
BLOCK/TEHSIL NAME :
CEP'S OFFICE FILE NO.:
NAME OF PAK NATIONAL :

CLASSIFICATION OF PROPERTY								
Mouza Name	J.L. No.	R.S. Kh. No.	R.S. Plot No.	L.R. Kh. No.	L.R. Plot No.	Total Area	Share of Pak National	Nature of the property with name of present occupier

DATE OF VESTING

ANNEXURE II
[See rule 4(4)]

OFFICE OF THE CUSTODIAN OF ENEMY PROPERTY FOR INDIA

STATEMENT SHOWING DETAILS OF DECLARED/ VESTED ENEMY PROPERTY

STATE:

Sl. No. STATEMENT OF DECLARED CASE

DETAILS OF PROPERTY

DISTRICT NAME :
SUB-DIVISION NAME :
POLICE STATION NAME :
POST OFFICE NAME :
BLOCK /TEHSIL NAME :
CEP'S OFFICE FILE NO.:
NAME OF PAK NATIONAL :

CLASSIFICATION OF PROPERTY								
Mouza Name	J.L. No.	R.S. Kh. No.	R.S. Plot No.	L.R. Kh. No.	L.R. Plot No.	Total Area	Share of Pak National	Nature of the property with name of present occupier

DATE OF VESTING:_____

ANNEXURE III
[See rule 5(4)]

OFFICE OF THE CUSTODIAN OF ENEMY PROPERTY FOR INDIA

STATEMENT SHOWING DETAILS OF INCOME RECEIVING ENEMY PROPERTY

STATE:

Sl. No. STATEMENT OF INCOME RECEIVING CASE

DETAILS OF PROPERTY

DISTRICT NAME :
SUB-DIVISION NAME :
POLICE STATION NAME :
POST OFFICE NAME :
BLOCK/TEHSIL NAME :
CEP'S OFFICE FILE NO. :
NAME OF PAK NATIONAL :
DATE OF VESTING :

FORM 1
[See rule 4 (1A) of the Enemy Property Rules, 2015]

OFFICE OF THE CUSTODIAN OF ENEMY PROPERTY FOR INDIA

F. No. CEPI/

Dated:

To

SHOW CAUSE NOTICE

Subject: Immovable enemy property.....

Whereas it appears, the subject property belonged to or/was held by or managed on behalf of "enemy" or "enemy subject" or "enemy firm" and the subject property appears to be an enemy property vested in the Custodian of Enemy Property for India and continues to vest in him under the Enemy Property Act, 1968 and the Enemy Property Rules, 2015 made thereunder.

2. The undersigned is the Custodian/ Person authorised by the Custodian on his/her behalf to identify, preserve and manage the enemy property situated in the district/ tehsil under the charge of the Custodian.

3. Now, therefore, the undersigned requires you to furnish the following information/documents in person or through your representative and show cause in writing at the address given above within ten days of receipt of this notice as to why the subject property should not be declared as enemy property and be taken under the control of the Custodian for its preservation and management as provided under the Enemy Property Act, 1968 and the Enemy Property Rules, 2015.

4. The reply should indicate specifically whether any personal hearing in the matter is required by you.

5. In case no reply is received within the stipulated time as above, or you do not appear for the personal hearing on the date and time fixed for the said purpose, it will be presumed that you have nothing to say in the matter and the said property shall be taken over by the Custodian as enemy property and dealt with in accordance with the provisions of the said Act and Rules.

6. List of documents/information required for the aforesaid purpose:-

(i) Name of "enemy" or "enemy subject" or "enemy firm", the enemy property owned by them, date of migration of the then owner of the enemy property to Pakistan and other details of the enemy property.
(ii) Details of subsequent transfers of the subject enemy property.
(iii) Copies of relevant, revenue records relating to the subject enemy property.
(iv) Documentary evidence in support of your claim, if any in respect of the subject enemy property.
(v) Death certificates or proof of dissolution and true genealogical charts of the "enemy" or "enemy subject" or "enemy firm".
(vi) Any other information in respect of the subject enemy property.

Date:_____
Place:_____

BY ORDER

Custodian/ person authorised by the Custodian

FORM 2

[See sections 5, 5A and 12 of the Enemy Property Act, 1968 and rule 4 (1F) of the Enemy Property Rules, 2015]

OFFICE OF THE CUSTODIAN OF ENEMY PROPERTY FOR INDIA

F. No.
Dated.....

CERTIFICATE UNDER SECTIONS 5, 5A AND 12 OF THE ENEMY PROPERTY ACT, 1968 AND RULE 4 (1F) OF THE ENEMY PROPERTY RULES, 2015

WHEREAS all immovable enemy properties in India belonging to or held by or managed on behalf of the "enemy" or "enemy subject" or "enemy firm" and the subject property being an enemy property is vested in the Custodian of Enemy Property for India and continues to vest in him under the Enemy Property Act, 1968 and the Enemy Property Rules, 2015 made thereunder.

AND WHEREAS, the immovable enemy properties situated at _ _ _

FORM 3

[SEE RULE 4 (1G) OF THE ENEMY PROPERTY RULES, 2015]
OFFICE OF THE CUSTODIAN OF ENEMY PROPERTY FOR INDIA

AUTHORISATION ORDER OF THE ENEMY PROPERTY UNDER SECTION 8 OF THE ENEMY PROPERTY ACT, 1968 AND THE ENEMY PROPERTY RULES, 2015

F. No.

Dated:

WHEREAS all immovable enemy properties in India belonging to or held by or managed on behalf of the "enemy", "enemy subject" or "enemy firm" are enemy property vested in the Custodian of Enemy Property for India under the Enemy Property Act, 1968 and the Enemy Property Rules, 2015 and continue to so vest in the said Custodian under sections 5, 5A and 12 of the Enemy Property Act, 1968 and the Enemy Property Rules, 2015 .

AND WHEREAS the person/ persons detailed in column (2) of the Schedule annexed hereto is/are a/all "enemy", "enemy subject" or "enemy firm" owning/holding/managing the immovable enemy property/ properties mentioned in column (3) thereof.

AND WHEREAS the said property/ properties is/are enemy property/ enemy properties vested in the Custodian and continue to so vest in terms of the provisions of the aforesaid Act and Rules.

NOW, therefore, I ....., the Custodian of Enemy Property for India, hereby authorise the District Magistrate/ Collector/Deputy Commissioner/ In-charge of District- ..... under section 8 of the Enemy Property Act, 1968 and the Enemy Property Rules, 2015 to take over control and management of and take such measures as he considers necessary or expedient for the preservation and management of the said immovable enemy property.

By Order

Schedule

Sl. No.	Name of the "enemy", "enemy subject" or "enemy firm"	Details of the enemy property
(1)	(2)	(3)

(Custodian of Enemy Property for India with seal)

FORM 4

[SEE RULE 4(3) OF THE ENEMY PROPERTY RULES, 2015]
OFFICE OF THE CUSTODIAN OF ENEMY PROPERTY FOR INDIA
NOTICE
(TO BE AFFIXED ON THE ENEMY PROPERTY)

Subject: ---------- (Details of Immovable Enemy Property)

WHEREAS on receipt of the authorisation Order under sub-rule (1G) of rule 4 from the Custodian, the District Authority has taken control over the management of the aforesaid immovable enemy property and initiated action for recovery of arrears or dues recoverable from the occupier of the aforesaid immovable enemy property vested in the Custodian;

AND WHEREAS the aforesaid immovable enemy property continue to remain so vested in the Custodian under sections 5, 5A and 12 of the Enemy Property Act, 1968 and the Enemy Property Rules, 2015;

WITHOUT prejudice to above, Now therefore this Notice is being affixed over the aforesaid immovable enemy property declaring that the said property is vested in the Custodian.

Date:_____
Place:_____

(District Authority with seal).'.

16. In Form 7 to the principal rules, the following Note shall be inserted at the end, namely:-
'Note: In the table of this Form,-
(i) "A/ I" refers to agricultural land;
(ii) "H/B" refers to House building;
(iii) "S/C" refers to Shop or commercial'.

[F. No. 37/32/2017-EP]

A. V. DHARMA REDDY, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide notification number G.S.R. 205(E), dated the 19th March, 2015.

(स्वतंत्रता सेनानी एवं पुनर्वास प्रभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 21 मार्च, 2018

सा.का.नि. 257(अ).—केन्द्रीय सरकार, शत्रु संपत्ति अधिनियम, 1968 (1968 का 34) की धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, शत्रु संपत्ति के रूप में अभिरक्षक में निहित संपत्ति को (जो शत्रु संपत्ति नहीं है) ऐसे व्यक्ति को जिससे ऐसी संपत्ति का अर्जन किया गया था और अभिरक्षक में निहित हुई थी, का अंतरण करने की प्रक्रिया विनिर्दिष्ट करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**. -(1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम संपत्ति अंतरण (अभिरक्षक में शत्रु संपत्ति के रूप में निहित) आदेश, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **अधिनियम की धारा 18 के अधीन अभ्यावेदन करने की रीति और अवधि.-**

(1) अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन अभिरक्षक में निहित संपत्ति के किसी आदेश द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से या ऐसे आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर, जो पहले हो, शत्रु संपत्ति से संबंधित भारत सरकार के मंत्रालय या विभाग में संयुक्त सचिव को (इसमें इसके पश्चात् यथा संबंधित संयुक्त सचिव कहा गया है) अभ्यावेदन कर करता है।

(2) प्रत्येक ऐसे अभ्यावेदन के साथ निम्नलिखित होंगे :-

(i) संपत्ति का ब्यौरा जिसके अंतर्गत जिले का नाम, उपखंड का नाम, पुलिस स्टेशन का नाम, डाकघर का नाम, ब्लाक या तहसील का नाम, अंतरणीय संपत्ति के निहित होने की तारीख जिसका अंतरिती द्वारा स्वामी होने का दावा किया गया है ;

(ii) संपत्ति से संबंधित सुसंगत राजस्व अभिलेख की प्रतियां ;

(iii) संपत्ति के संबंध में दावे, यदि कोई हो, के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य ;

(iv) भारत के नागरिक होने के समर्थन में साक्ष्य ;

(v) संपत्ति के अधिभोगी का नाम, पता और अन्य विवरण, उसकी स्थिति, अंतरिती के साथ उसका संबंध और अन्य सुसंगत विवरण ;

(vi) संपत्ति और अंतरिती के समर्थन में कोई अन्य सूचना या दस्तावेज।

3. **अभिरक्षक में निहित (जो शत्रु संपत्ति नहीं है) संपत्ति के अंतरण की प्रक्रिया**.- (1) संबंधित संयुक्त सचिव पैरा 2 के उपपैरा (1) में निर्दिष्ट अभिरक्षक में शत्रु संपत्ति के रूप में किसी संपत्ति को निहित करने संबंधी आदेश से व्यथित किसी व्यक्ति से कोई अभ्यावेदन प्राप्त होने पर, अभिरक्षक सहित सभी संबंधित व्यक्तियों को, उनसे प्रत्युत्तर, सभी दस्तावेज़ी साक्ष्य प्रस्तुत करने और स्वयं या किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से हाजिर होने की अपेक्षा करते हुए न्यूनतम तीस दिनों की सूचना देने के पश्चात् ऐसे व्यक्ति जिससे ऐसी संपत्ति अर्जित की गई थी, सुनवाई के लिए, कार्यवाई आरंभ करेगा।